

कार्यालय नगर परिषद शामगढ जिला मन्दसौर म0प्र0

पृष्ठा0क / 1350 / 2026

दिनांक 29.04.2026

ई निविदा आमंत्रण सूचना

लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद, शामगढ द्वारा नगर में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक ठेकेदार निर्धारित धरोहर राशि जमा कर ऑनलाईन दर प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसका विवरण एवं शर्तें कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर देख सकते हैं। उक्त टेंडर की समयावधि 02 माह होगी।

| क. | ऑन लाईन टेंडर क्र | कार्य का नाम | अनुमानित लागत | अर्नेस्टमनी | निविदा प्रपत्र का मूल्य | निविदा |
|----|-------------------|--|---------------|-------------|-------------------------|--------|
| 1 | | वार्ड कं 08 टीचर (जीण) कालोनी में शिव जी धनोतिया के मकान से मुकेश धनोतिया के मकान तक एवं कालोनी की अन्य गलियों में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 3457104.00 | 25930 | 5000 | प्रथम |
| 2 | | वार्ड कं 03 आलौकिक गार्डन से टकरावद रोड एवं कालोनी की अन्य गलियों में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 2776909.00 | 20830 | 5000 | प्रथम |
| 3 | | वार्ड कं 08 सगोरिया रोड से खादुरश्याम ज्युस सेंटर के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 2183255.00 | 16380 | 5000 | प्रथम |

निविदा ऑनलाईन कर एवं बिड जमा करने की अंतिम तिथि 01.06.2026 सांय 03 बजे तक एवं खोलने की दिनांक 02.06.2026 अधिक जानाकारी के लिये कार्यालयीन समय में नगर परिषद शामगढ से संपर्क किया जा सकता है।

नोट :-

- विस्तृत निविदा विज्ञापित टेंडर एवं अन्य दस्तावेज देखने एवं डाउनलोड करने के लिये <https://mptenders.gov.in/> पर सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय नगर परिषद शामगढ पर सम्पर्क करें।
- टेंडर डाउनलोड करने के पूर्व निविदाकार स्थल का निरीक्षण कर नगर परिषद शामगढ में उपलब्ध शर्तों का अध्ययन करने के उपरांत ही टेंडर प्रविष्टि करें।
- निविदा में यदि कोई संशोधन होता है तो वह ऑनलाईन पोर्टल पर प्रदर्शित होगा उसके लिये पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
- शासन के निर्देशानुसार अधिक बिलो टेंडर जाने पर नियमानुसार परफारमेंस ग्यारंटी अनुबंध के समय जमा करवाना अनिवार्य होगी।
- निविदादाता अपनी दरे उक्त अनुमानित लागत अनुरूप कार्य पर लगने वाली जी.एस.टी दर को छोड़कर प्रस्तुत करेगा। कान्ट्रेक्टर के भुगतान के समय जी.एस.टी. कि जो दरे देयक पर लागू होगी उसके अनुसार जी.एस. टी का भुगतान पृथक से कान्ट्रेक्टर को किया जावेगा।
- शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज की रायल्टी रसिदे अप्राप्त होने पर खनिजों का बाजार मूल्य ठेकेदार के देयको से काटकर राशि का भुगतान किया जावेगा।

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| श्रीमति कविता यादव अध्यक्ष | श्रीमति डाली जोशी उपाध्यक्ष | सिद्धार्थ जोशी सभापति | सुरेश यादव मुख्य नगर विकास अधिकारी |
| नगर परिषद शामगढ | नगर परिषद शामगढ | (लोक निर्माण, उद्यान विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग) | नगर परिषद शामगढ |

पृष्ठा0क /

दिनांक

प्रतिलिपि :-

- प्रधान संपादक दैनिक समाचार पत्र की और विज्ञापन राशि रुपये के अंतर्गत आगामी अंक में प्रकाशन हेतु। एवं
- कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद शामगढ